प्राक्कथन

- यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

- इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष में सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं। जहाँ कहीं आवश्यक था, राजस्थान सरकार से इन पर सूचना प्राप्त कर ली गई है।

- अध्याय III 'वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग', चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

- विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेनदेनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों, सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों पर आक्षेपों से युक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये गये हैं।